सोनभद्र पुलिस

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक- 24.09.2026

- **"ऑपरेशन शुद्धि" के तहत अवैध अंग्रेजी शराब की तस्करी पर थाना अनपरा पुलिस की कार्रवाई, 178.92 लीटर शराब (अनुमानित कीमत 02 लाख 30 हजार रुपये) के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **हुंडई क्रेटा कार (अनुमानित कीमत 12 लाख रुपये) से रॉयल स्टैग एवं मैकडॉवेल ब्रांड की शराब बरामद**
- **कुल बरामदगी की अनुमानित कीमत लगभग ₹14.30 लाख-**

पुलिस अधीक्षक सोनभद्र **श्री अभिषेक वर्मा** के निर्देशन में **"ऑपरेशन शुद्धि"** के तहत अवैध शराब के निर्माण, बिक्री एवं परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक (ऑपरेशन) **श्री ऋषभ रुणवाल** एवं क्षेत्राधिकारी पिपरी **श्री हर्ष पाण्डेय** के कुशल पर्यवेक्षण में थाना अनपरा पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।

घटना का विवरण व कृत कार्यवाही-

दिनांक 23.09.2026 को थाना अनपरा पुलिस द्वारा संदिग्ध वाहनों एवं व्यक्तियों की चेकिंग तथा अपराधियों की तलाश के दौरान मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि मध्य प्रदेश की तरफ से सफेद रंग की हुंडई **क्रेटा कार** संख्या WB02AH8692 में अवैध अंग्रेजी शराब परिवहन की जाएगी। प्राप्त सूचना पर अनपरा पुलिस टीम द्वारा **मध्य प्रदेश बॉर्डर** की तरफ चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान दीपक सिंह के प्राइवेट वाहन/ट्रक खड़े करने के **आहाता के पास ग्राम औड़ी मोड़ टोला दुल्लापाथर** थाना अनपरा अन्तर्गत सड़क किनारे बाईं तरफ सुनसान स्थान पर उक्त सफेद रंग की क्रेटा कार खड़ी दिखाई दी।

पुलिस टीम द्वारा कार को चेक किया गया तो उसमें बैठे व्यक्ति ने अपना नाम अजय कुमार सिंह उर्फ झगड़ू बताया। वाहन की तलाशी लेने पर पीछे की सीट से 03 पेटी रॉयल स्टैग 750 एमएल की कुल 36 बोतल एवं 03 पेटी मैकडॉवेल 180 एमएल की कुल 144 बोतल तथा डिग्गी से 14 पेटियों में कुल 336 बोतल रॉयल स्टैग 375 एमएल बरामद हुई। बरामद शराब पर **"For Sale in Madhya Pradesh Only"** एवं **"For Sale in Union Territory Chandigarh Only"** अंकित पाया गया। उक्त बरामदगी के आधार पर आरोपी अजय कुमार सिंह उर्फ झगड़ू को **समय करीब 20:07 बजे औड़ी मोड़ दुल्लापाथर मध्य प्रदेश बॉर्डर से गिरफ्तार** किया गया। अवैध अंग्रेजी शराब की बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार **थाना अनपरा पर मु0अ0सं0-196/2026 धारा 60/63/72 आबकारी अधिनियम** के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है। प्रकरण में अग्रेतर वैधानिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार आरोपी अजय कुमार सिंह उर्फ झगड़ू से पूछताछ करने पर उसके द्वारा बताया गया कि वह **भाड़े पर हुंडई क्रेटा कार लेकर मध्य प्रदेश गया** था तथा वापसी के दौरान मध्य प्रदेश के सिंगरौली स्थित सरकारी ठेके से अंग्रेजी शराब लोड कर **बिहार बॉर्डर की किसी ढाबे पर बेचकर** अधिक पैसा कमाने के लालच में लेकर जा रहा था। इस प्रकार अवैध शराब का परिवहन कर लाभ कमाने का कार्य वह पहली बार कर रहा था। शराब के संबंध में कोई वैध कागजात उसके पास नहीं थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

अजय कुमार सिंह उर्फ झगड़ू पुत्र बिंदेश्वरी सिंह, उम्र करीब 47 वर्ष, निवासी कोईलखा, थाना जमुआ, जिला गिरिडीह, झारखंड।

बरामदगी का विवरण-

- 03 पेटी रॉयल स्टैग 750 एमएल की **कुल 36 बोतल**, 03 पेटी मैकडॉवेल 180 एमएल की **कुल 144 बोतल** एवं 14 पेटियों में **कुल 336 बोतल** रॉयल स्टैग 375 एमएल (कुल 20 पेटियों में 178.92 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब अनुमानित कीमत 02 लाख 30 हजार रुपये)।
- हुंडई **क्रेटा कार** संख्या WB02AH8692 (**अनुमानित कीमत 12 लाख रुपये**)
- ₹1,500 नगद।
- कुल बरामदगी की **अनुमानित कीमत लगभग ₹14.30 लाख**

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

1. प्र0नि0 प्रणय प्रसून श्रीवास्तव थाना अनपरा जनपद सोनभद्र।
2. उ0नि0 सच्चिदानंद दास, थाना अनपरा, जनपद सोनभद्र।
3. हे0का0 गुड्डू बिन्द, थाना अनपरा, जनपद सोनभद्र।
4. का0 रमेश, थाना अनपरा, जनपद सोनभद्र।
5. का0 प्रवीण कुमार, थाना अनपरा, जनपद सोनभद्र।